



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 153-2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, SEPTEMBER 11, 2018 (BHADRA 20, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 सितम्बर, 2018

संख्या 79/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन निम्नलिखित करदाताओं के वर्ग द्वारा भुगतान किए गए विलंब शुल्क का अधित्यजन करते हैं:—

- (i) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों जिन्होंने हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में अक्टूबर, 2017 मास के लिए विवरणी प्रस्तुत की थी किंतु आवेदन संदर्भ संख्या सृजन होने के पश्चात् सामान्य पोर्टल पर दायर नहीं की थी;
- (ii) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों जिन्होंने हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-4 में अक्टूबर, 2017 से दिसंबर, 2017 की अवधि के लिए नियत तिथि तक विवरणी दायर की है किंतु सामान्य पोर्टल पर गलती से विलंब शुल्क उद्गृहीत हुआ था;
- (iii) ऐसे इनपुट सेवा वितरक जिन्होंने किसी कर अवधि के लिए प्रथम जनवरी, 2018 और 23 जनवरी, 2018 के मध्य, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-6 में विवरणी दायर करने या प्रस्तुत करने के लिए विलंब शुल्क भुगतान किया है।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 11th September, 2018

No. 79/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby waives the late fee paid under section 47 of the said Act, by the following classes of taxpayers:-

- (i) the registered persons whose return in **FORM GSTR-3B** of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 for the month of October, 2017, was submitted but not filed on the common portal, after generation of the application reference number;
- (ii) the registered persons who have filed the return in **FORM GSTR-4** of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 for the period October to December, 2017 by the due date but late fee was erroneously levied on the common portal;
- (iii) the Input Service Distributors who have paid the late fee for filing or submission of the return in **FORM GSTR-6** of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 for any tax period between the 1st day of January, 2018 and the 23rd day of January, 2018.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.